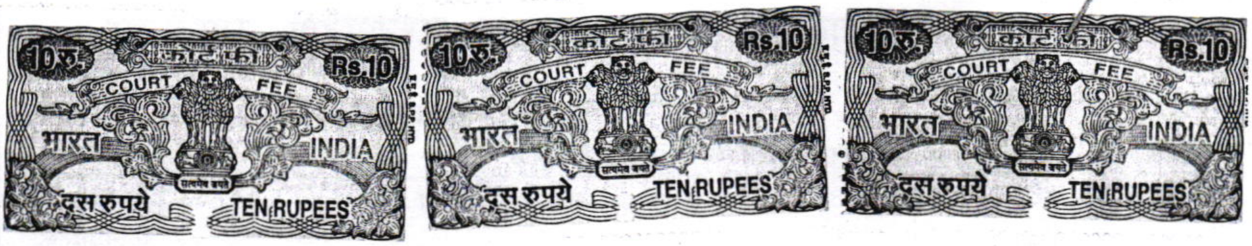

न्यायालय माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र.

PBR/निगरानी/धार/भू.रा/2018/1668

राजु उर्फ राजेन्द्रसिंह पिता नारायणसिंह यादव
निवासी– ग्राम ज्ञानपुरा तहसील व जिला धार

............................निगरानीकर्ता

बनाम

म0प्र0 शासन तर्फे हल्का पटवारी
ज्ञानपुरा तहसील व जिला धार

..............विपक्षी

निगरानी अर्ज धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 अनुसार

"यह निगरानी न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय इन्दौर संभाग इन्दौर द्वारा धारा 52 स्थगन आवेदन पत्र की अपास्ती आज्ञा दिनांक 12/02/2018 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की जा रही हैं। "

मान्यवर महोदय,

सेवा में निगरानीकर्ता की ओर से अत्यंत विनम्रता से निवेदन है कि :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/धार/भू.रा/2018/1668

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11-4-18	आवेदक अधिवक्ता श्री के0के0द्विवेदी द्वारा ग्राहयता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दि. 12-2-2018 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनके द्वारा प्रकरण में आवेदक से की जा रही वसूली की कार्यवाही को स्थगित नहीं किया गया है । चूँकि प्रकरण में स्थगन देना अथवा नहीं देना पीठासीन अधिकारी के स्वविवेक एवं प्रकरण की परिस्थितियों पर निर्भर करता है, जिसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है । अतः यह प्रथमदृष्टया यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राहय की जाती है। अध्यक्ष	